फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

नाथूलाल वगै0 बनाम छोटू वगै0

ि0 :-131/2023

ि‍नांक आज्ञा ा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
2.05.2024	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थीगण की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को दौहराते हुए बिन्दु सं0 1 में वर्णित भूमि ग्राम दौलतपुरा, पटवार हल्का धर्मपुरा, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 88 रकबा 1.6700है0, खसरा नम्बर 850/326 रकबा 0.1400है0, खसरा नम्बर 852/376 रकबा 0.0200है0, खसरा नम्बर 849/326 रकबा 0.1400है0, खसरा नम्बर 851/376 रकबा 0.0250है0 की चारो तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधि0 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम दौलतपुरा, पटवार हल्का धर्मपुरा, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 88 रकबा 1.6700है0, खसरा नम्बर 850/326 रकबा 0.1400है0, खसरा नम्बर 852/376 रकबा 0.0200है0, खसरा नम्बर 849/326 रकबा 0.1400है0, खसरा नम्बर 851/376 रकबा 0.0250है0 में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नही की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते है तो उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें। निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। (ललित मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ	